

## समझौता ज्ञापन

यह समझौता ज्ञापन ("एमओयू") दिनांक 10 मार्च, 2023 को नई दिल्ली में

भारत के राष्ट्रपति, जो भारत सरकार के नागर विमानन मंत्रालय के सचिव के माध्यम से कार्य कर रहे हैं (जिन्हें आगे "भारत सरकार" कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में उनके उत्तराधिकारी और समनुदेशित शामिल माने जाएंगे) ;

और

जीएमआर विशाखापटनम इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (जीवीआईएएल), जो कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत निगमित एक कंपनी है, जिसका कॉर्पोरेट पहचान क्रमांक यू74999एपी2020पीएलसी114561 है और इसका पंजीकृत कार्यालय 10-143, प्लैट नंबर 202, दूसरी मंजिल, सिरिपुरम फोर्ट, सिरिपुरम, विशाखापटनम - 530003, आंध्र प्रदेश, भारत में स्थित है (जिन्हें आगे "रियायतग्राही" कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में, जब तक कि संदर्भ या अर्थ से इसके प्रतिकूल न हो, इसके उत्तराधिकारी, अनुमति प्राप्त समनुदेशित और प्रतिस्थानी शामिल होंगे)।

के बीच और मध्य किया गया।

(जैसा कि संदर्भ के अनुसार आवश्यक हो, भारत सरकार और रियायतग्राही को आगे सामूहिक रूप से "पक्षों" के रूप में और व्यक्तिगत रूप से "पक्ष" के रूप में संदर्भित किया गया है)।

**जबकि:**

- क. भारत सरकार ("भारत सरकार") ने आंध्र प्रदेश राज्य में विशाखापटनम के पास विजयनगरम जिले में सार्वजनिक उपयोग के लिए एक हवाई अड्डे ("हवाई अड्डा") की स्थापना के लिए, सैद्धांतिक मंजूरी ("सैद्धांतिक मंजूरी") में निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन, प्राधिकरण को अपनी सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है।
- ख. भारत सरकार की मंजूरी के आधार पर, आंध्र प्रदेश सरकार ("आंध्र प्रदेश सरकार") ने जीओ आरटी संख्या 68 दिनांक 20 मई 2018 ("आंध्र प्रदेश सरकार की मंजूरी") के माध्यम से, सार्वजनिक निजी भागीदारी ("पीपीपी") (जैसा कि नीचे परिभाषित है) के माध्यम से परियोजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी, और प्राधिकरण को इसके लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया।
- ग. रियायतकर्ता के निगमन पर, प्राधिकरण और रियायतकर्ता ने दिनांक 12 जून 2020 ("रियायत समझौते") के बीच एक रियायत समझौते में प्रवेश किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ रियायतकर्ता के लिए उन शर्तों और शर्तों के लिए सहमति और प्रावधान शामिल थे जिनके आधार पर रियायतकर्ता डीबीएफओटी के आधार पर हवाईअड्डे का विकास, प्रचालन और रखरखाव करेगा।
- घ. भारत सरकार स्वीकार करती है कि परियोजना के कार्यान्वयन के लिए रियायतग्राही को इसमें आगे निर्धारित अनुसार भारत सरकार द्वारा निरंतर समर्थन और कुछ

अधिकारों को प्रदान करने की आवश्यकता है, और यह परियोजना के लिए संसाधनों को जुटाने हेतु एक आवश्यक पूर्व शर्त है।

ड. रियायतग्राही द्वारा रियायत समझौते में प्रवेश करने के विचार में और परियोजना के सुचारू संचालन और व्यवहार्यता के लिए, रियायत समझौते के तहत प्राधिकरण के दायित्वों के अलावा, भारत सरकार रियायतग्राही को इसमें बताए अनुसार कुछ सहायता प्रदान करने के लिए सहमत है।

**अब एतद्वारा निम्नानुसार सहमति बनी है:**

## **1. परिभाषाएं और व्याख्या**

**1.1 परिभाषाएं** इस समझौता ज्ञापन में, सिवाय इसके कि जहां संदर्भ से अन्यथा आवश्यक हो और जब तक कि नीचे या इस समझौता ज्ञापन में विशेष रूप से अन्यथा परिभाषित न किया गया हो, इसमें उपयोग किए गए बड़े अक्षरों वाले शब्द (और जो इसमें परिभाषित नहीं हैं) लेकिन रियायत समझौते के तहत परिभाषित हैं, उनके वही अर्थ होंगे जो रियायत समझौते के तहत उस शब्द को दिए गए हैं:

- **"एयरोनॉटिकल सेवाएं"** का अर्थ आईआरए (AERA) अधिनियम, 2008 में निर्धारित अर्थ से है।
- **"पशु संगरोध सेवाएं"** का अर्थ संगरोध सेवाओं (जो आरक्षित सेवाओं का हिस्सा हैं) से होगा जैसा कि इसके साथ संलग्न अनुसूची 1 में निर्धारित किया गया है।
- **"पशु संगरोध सेवाएं प्रतिनिधि"** का अर्थ पशु संगरोध सेवाएं प्रदान करने वाले विभाग/एजेंसी का अधिकृत प्रतिनिधि होगा, जिसे भारत सरकार द्वारा समय-समय पर संयुक्त समन्वय समिति में नामित किया जाएगा।
- **"लागू अनुमतियां"** का अर्थ इस समझौता ज्ञापन के अस्तित्व के दौरान परियोजना के संबंध में लागू कानूनों के तहत भारत सरकार या भारत सरकार के किसी भी विभाग/एजेंसी से प्राप्त किए जाने वाले और/या उसके बाद बनाए रखे जाने वाले सभी मंजूरी, लाइसेंस, परमिट, प्राधिकरण, अनापत्ति प्रमाण पत्र, सहमति, अनुमोदन और छूट से होगा।
- **"मध्यस्थ न्यायाधिकरण"** का अर्थ वही होगा जैसा कि नीचे खंड 8.3.2 में इस शब्द के लिए उल्लिखित है।
- **"प्राधिकरण"** का अर्थ आंध्र प्रदेश एयरपोर्ट्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड से होगा, जो कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निर्गमित एक कंपनी है, जिसका कॉर्पोरेट पहचान संख्या यू52200टीजी2015एसजीसी101085 है और इसका पंजीकृत कार्यालय आर.एस. नं. 254/2, एवीएसआर भवन, दूसरी और तीसरी मंजिल, काणूरू मेन रोड, काणूरू, विजयवाड़ा - 520007 में है और जिसका प्रतिनिधित्व इसके प्रबंध निदेशक द्वारा किया जाता है।
- **"प्राधिकरण प्रतिनिधि"** का अर्थ प्राधिकरण का अधिकृत प्रतिनिधि होगा।
- **"बीसीएस"** का अर्थ विमान (संशोधन) अधिनियम, 2020 की धारा 4ख के तहत गठित नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो से होगा।
- **"सीएनएस/एटीएम सेवाएं"** का अर्थ हवाई यातायात प्रबंधन के लिए संचार, नेविगेशन और निगरानी प्रणालियों से संबंधित सेवाओं (जो आरक्षित सेवाओं का भाग हैं) से होगा, जैसा कि इसके साथ संलग्न अनुसूची 2 में निर्धारित किया गया है।

- **"सीएनएस/एटीएम सेवाएं प्रतिनिधि"** का अर्थ सीएनएस/एटीएम सेवाएं प्रदान करने वाले विभाग/एजेंसी का अधिकृत प्रतिनिधि होगा, जिसे भारत सरकार द्वारा समय-समय पर संयुक्त समन्वय समिति में नामित किया जाएगा।
- **"रियायत समझौता"** का वही अर्थ है जो उपर्युक्त प्रस्तावना ग में उल्लिखित है।
- **"रियायतग्राही"** का वही अर्थ है जो पक्षों की सूची में इस शब्द को दिया गया है या कोई अन्य पक्ष जिसे प्राधिकरण द्वारा परियोजना के लिए रियायतग्राही के रूप में स्वीकार किया जा सकता है।
- **"रियायतग्राही प्रतिनिधि"** का अर्थ रियायतग्राही द्वारा समय-समय पर संयुक्त समन्वय समिति में नामित कम से कम निदेशक पद का प्रतिनिधि (प्रतिनिधिगण) होगा।
- **"सीमा शुल्क नियंत्रण"** का अर्थ सीमा शुल्क से संबंधित सेवाओं से होगा जैसा कि इसके साथ संलग्न अनुसूची 3 में निर्धारित किया गया है।
- **"सीमा शुल्क नियंत्रण प्रतिनिधि"** का अर्थ सीमा शुल्क नियंत्रण सेवाएं प्रदान करने वाले विभाग/एजेंसी का अधिकृत प्रतिनिधि होगा, जिसे भारत सरकार द्वारा समय-समय पर संयुक्त समन्वय समिति में नामित किया जाएगा।
- **"डीजीसीए"** का अर्थ नागर विमानन महानिदेशालय या उसका कोई विकल्प होगा।
- **"प्रभावी तिथि"** का अर्थ इसमें अंतिम पक्ष द्वारा इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की तिथि से होगा और ऐसी तिथि रियायत समझौते में दिए गए अनुसार नियुक्त तिथि से बाद की नहीं होगी।
- **"भारत सरकार"** का वही अर्थ है जो इस समझौता ज्ञापन की प्रस्तावना क में इस शब्द के लिए उल्लिखित है।
- **"भारत सरकार की मंजूरी"** का वही अर्थ है जो इस समझौता ज्ञापन की प्रस्तावना क में इस शब्द के लिए उल्लिखित है।
- **"भारत सरकार का समर्थन"** का वही अर्थ है जो इस समझौता ज्ञापन के खंड 3 में इस शब्द के लिए उल्लिखित है।
- **"आंध्र प्रदेश सरकार"** का वही अर्थ है जो इस समझौता ज्ञापन की प्रस्तावना ख में इस शब्द के लिए उल्लिखित है।
- **"आंध्र प्रदेश सरकार की मंजूरी"** का वही अर्थ है जो इस समझौता ज्ञापन की प्रस्तावना ख में इस शब्द के लिए उल्लिखित है।
- **"स्वास्थ्य सेवाएं"** का अर्थ अनिवार्य स्वास्थ्य सेवाओं (जो आरक्षित सेवाओं का भाग हैं) से होगा जैसा कि इसके साथ संलग्न अनुसूची 4 में निर्धारित किया गया है।
- **"स्वास्थ्य सेवाएं प्रतिनिधि"** का अर्थ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाले विभाग/एजेंसी का अधिकृत प्रतिनिधि होगा, जिसे भारत सरकार द्वारा समय-समय पर संयुक्त समन्वय समिति में नामित किया जाएगा।
- **"आप्रवासन सेवाएं"** का अर्थ लागू कानून के अनुसार आप्रवासन सेवाओं (जो आरक्षित सेवाओं का भाग हैं) से होगा, जैसा कि इसके साथ संलग्न अनुसूची 5 में निर्धारित किया गया है।
- **"आप्रवासन सेवाएं प्रतिनिधि"** का अर्थ आप्रवासन सेवाएं प्रदान करने वाले विभाग/एजेंसी का अधिकृत प्रतिनिधि होगा, जिसे भारत सरकार द्वारा समय-समय पर संयुक्त समन्वय समिति में नामित किया जाएगा।
- **"संयुक्त समन्वय समिति"** का वही अर्थ है जो नीचे खंड 4.1.1 में इस शब्द के लिए उल्लिखित है।

- **"मौसम विज्ञान संबंधी सेवाएं"** का अर्थ मौसम विज्ञान संबंधी सेवाओं (जो आरक्षित सेवाओं का हिस्सा हैं) से होगा, जैसा कि इसके साथ संलग्न अनुसूची 6 में निर्धारित किया गया है।
- **"मौसम विज्ञान संबंधी सेवाएं प्रतिनिधि"** का अर्थ मौसम विज्ञान सेवाएं प्रदान करने वाले मौसम विभाग का अधिकृत प्रतिनिधि होगा, जिसे समय-समय पर संयुक्त समन्वय समिति में नामित किया जाएगा।
- **"समझौता ज्ञापन"** या **"यह समझौता ज्ञापन"** का अर्थ इस समझौता ज्ञापन से होगा।
- **"पादप संगरोध सेवाएं"** का अर्थ संगरोध सेवाओं (जो आरक्षित सेवाओं का भाग हैं) से होगा, जैसा कि इसके साथ संलग्न अनुसूची 7 में निर्धारित किया गया है।
- **"पादप संगरोध सेवाएं प्रतिनिधि"** का अर्थ पादप संगरोध सेवाएं प्रदान करने वाले विभाग/एजेंसी का अधिकृत प्रतिनिधि होगा, जिसे भारत सरकार द्वारा समय-समय पर संयुक्त समन्वय समिति में नामित किया जाएगा।
- **"परियोजना"** का वही अर्थ है जो रियायत समझौते में इस शब्द के लिए उल्लिखित है।
- **"पीपीपी"** का वही अर्थ है जो उपर्युक्त प्रस्तावना ख में इस शब्द के लिए उल्लिखित है।
- **"आरक्षित सेवाएं"** का वही अर्थ है जो खंड 3.3 में इस शब्द के लिए उल्लिखित है।
- **"सुरक्षा सेवाएं"** का अर्थ सुरक्षा सेवाओं (जो आरक्षित सेवाओं का हिस्सा हैं) से होगा, जैसा कि इसके साथ संलग्न अनुसूची 8 में निर्धारित किया गया है।
- **"सुरक्षा सेवाएं प्रतिनिधि"** का अर्थ सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने वाले विभाग/एजेंसी का अधिकृत प्रतिनिधि होगा, जिसे भारत सरकार द्वारा समय-समय पर संयुक्त समन्वय समिति में नामित किया जाएगा।
- **"अवधि"** का वही अर्थ है जो खंड 5 में इस शब्द के लिए उल्लिखित है।

## 1.2 व्याख्या के नियम

1.2.1 बड़े अक्षरों से शुरू होने वाले और इस समझौता ज्ञापन में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों का अर्थ इसमें दिया गया अर्थ ही होगा, और इस समझौता ज्ञापन में उपयोग किए गए शब्द और अभिव्यक्ति जो इसमें परिभाषित नहीं हैं लेकिन रियायत समझौते में परिभाषित हैं, जब तक कि संदर्भ के प्रतिकूल न हो, उनके वही अर्थ होंगे जो उन्हें रियायत समझौते में दिए गए हैं।

1.2.2 खंडों के संदर्भ, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो, इस समझौता ज्ञापन के खंडों के संदर्भ हैं।

1.2.3 रियायत समझौते के खंड 1.2, 1.3 में बताए गए व्याख्या के नियम आवश्यक परिवर्तनों सहित (*mutatis mutandis*) इस समझौता ज्ञापन पर लागू होंगे।

## 2. प्रभावी तिथि

इस समझौता ज्ञापन के प्रावधान (खंड 1, 2, 3.4, 3.11, 8 और 9 में निहित प्रावधानों को छोड़कर, जो तदनुसार इस समझौता ज्ञापन की तिथि से पक्षों पर बाध्यकारी हैं) प्रभावी तिथि से लागू होंगे और पक्षों पर बाध्यकारी होंगे।

### 3. भारत सरकार का समर्थन

प्रभावी तिथि से, भारत सरकार एतद्वारा परियोजना के संबंध में निम्नलिखित सहायता प्रदान करने का वचन देती है ("**भारत सरकार का समर्थन**") :

#### 3.1 लागू अनुमतियां

3.1.1 भारत सरकार, रियायतग्राही से लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर और रियायतग्राही द्वारा लागू कानूनों के अनुपालन के अधीन, रियायतग्राही को संबंधित वैधानिक अवधि (यदि कोई हो) के भीतर परियोजना के लिए या उसके संबंध में आवश्यक लागू अनुमतियां देने का प्रयास करेगी। पक्ष सहमत हैं कि जहां कोई वैधानिक अवधि निर्धारित नहीं है, भारत सरकार रियायतग्राही से ऐसा लिखित अनुरोध प्राप्त होने की तिथि से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर परियोजना के लिए या उसके संबंध में आवश्यक लागू अनुमतियां देने के लिए सभी उचित प्रयास करेगी, जो रियायतग्राही द्वारा लागू अनुमतियां प्राप्त करने के उद्देश्य से निर्दिष्ट सभी मानदंडों को पूरा करने के अधीन होगा।

3.1.2 रियायतग्राही एतद्वारा वचन देता है कि लागू अनुमतियों के आवंटन को त्वरित करने के लिए, वह लगन से और समयबद्ध तरीके से:

(क) संबंधित अधिकारियों के समक्ष लागू कानून का पूर्ण अनुपालन करने वाले आवेदन तैयार करेगा और दाखिल करेगा;

(ख) संबंधित अधिकारियों के साथ उपरोक्त आवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई (फॉलो-अप) करेगा; और

(ग) आगे की जानकारी और स्पष्टीकरण के लिए सभी अनुरोधों का समय पर उत्तर देगा।

#### 3.2 वैमानिकी प्रभारों के निर्धारण और संशोधन के सिद्धांत

3.2.1 इसके पक्ष स्वीकार करते हैं और सहमत होते हैं कि एयरोनॉटिकल सेवाओं के लिए कोई भी और सभी एयरोनॉटिकल शुल्क, जिन्हें रियायतग्राही किसी उपयोगकर्ता से लगा सकता है, एकत्र कर सकता है और विनियोजित कर सकता है, आईआरए (AERA) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार और आईआरए द्वारा जारी वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार आईआरए के एक आदेश के माध्यम से निर्धारित और संशोधित किए जाएंगे।

राष्ट्रीय नागर विमानन नीति (एनसीएपी), 2016 हवाईअड्डे पर वैमानिकी प्रभारों के निर्धारण और विनियमन के लिए "30% (तीस प्रतिशत) शेयर्ड टिल फ्रेमवर्क" प्रदान करती है, और आईआरए द्वारा समय-समय पर टिल फ्रेमवर्क के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी ऐसे ही आदेश या किसी आदेश पर तदनुसार विचार किया जाएगा। संदेह से बचने के लिए, अनुसूची के अनुसार स्थल के आवासीय विकास के लिए सिटी साइड और सिटी साइड विकास से

रियायतग्राही के राजस्व को वैमानिकी प्रभारों के निर्धारण और विनियमन के लिए शेयर्ड टिल फ्रेमवर्क से बाहर रखा जाएगा।

3.2.2 वैमानिकी प्रभारों को आईआरए अधिनियम, 2008 के फ्रेमवर्क और समय-समय पर यथा लागू टैरिफ दिशानिर्देशों के अनुसार प्रतिष्ठित और निर्धारित / पुनर्निर्धारित किया जाएगा। बशर्ते, हालांकि, रियायत समझौते की शर्तों के तहत और उसके अनुसरण में रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को भुगतान किया गया / देय प्रति-यात्री शुल्क वैमानिकी सेवाओं के प्रावधान के लिए लागत के हिस्से के रूप में शामिल नहीं किया जाएगा और इसके संबंध में कोई पास-थ्रू उपलब्ध नहीं होगा।

3.2.3 वैमानिकी प्रभारों के निर्धारण के उद्देश्य से रियायत शुल्क को परिचालन व्यय का एक भाग माना जाएगा।

3.2.4 संप्रभु कार्यों को प्रदान करने के लिए रियायतग्राही द्वारा किसी भी सरकारी उपकरण को किए गए किसी भी भुगतान को एयरोनॉटिकल शुल्कों के निर्धारण के उद्देश्य से पास-थ्रू माना जाएगा, और तदनुसार वैमानिकी प्रभारों के निर्धारण के लिए लागत का एक हिस्सा माना जाएगा।

3.2.5 रियायतग्राही चरण 1 सीओडी से हवाईअड्डे के उपयोगकर्ताओं से टैरिफ की प्रारंभिक / तदर्थ दरों पर वैमानिकी प्रभार लगाने, एकत्र करने और विनियोजित करने का हकदार होगा, जैसा कि आईआरए द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है। टैरिफ की ऐसी प्रारंभिक / तदर्थ दरें आईआरए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आईआरए द्वारा वैमानिकी प्रभारों के अनुमोदन तक लागू और वैध होंगी।

3.2.6 चरण 1 सीओडी से शुरू होने वाली पहली टैरिफ नियंत्रण अवधि (वर्तमान में 5 (पांच) वर्ष) के लिए आईआरए द्वारा अनुमोदित तदर्थ या अंतिम वैमानिकी प्रभारों के संबंध में वैमानिकी राजस्व की किसी भी कम-वसूली या अधिक-वसूली को आईआरए द्वारा आगे बढ़ाया जाएगा और समायोजित किया जाएगा, जबकि आईआरए अधिनियम के अनुसार और आईआरए द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार दूसरी टैरिफ नियंत्रण अवधि में स्वीकार्य एयरोनॉटिकल राजस्व का निर्धारण किया जाएगा, बशर्ते कि ऐसा कैरी फॉरवर्ड / समायोजन केवल कुल राजस्व आवश्यकता और अर्जित वास्तविक एयरोनॉटिकल राजस्व के आधार पर आईआरए द्वारा निर्धारित वैमानिकी राजस्व की कम वसूली या अधिक वसूली के संबंध में उपलब्ध होगा। संदेह से बचने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी नियंत्रण अवधि के लिए तदर्थ दरों / टैरिफ के निर्धारण के लिए आईआरए द्वारा सीओडी-पूर्व के दौरान किसी भी हानि / लाभ पर विचार नहीं किया जाएगा।

3.2.7 आईआरए द्वारा निर्धारित किए जाने वाले एयरोनॉटिकल शुल्कों के निर्धारण के उद्देश्यों के लिए संरक्षण लागत को विशेष रूप से बाहर रखा जाएगा।

3.2.8 हवाईअड्डा फेंसिंग क्षेत्र के बाहर प्रदान की गई किसी भी कनेक्टिविटी या निर्मित किसी भी अवसंरचना (जैसा कि रियायत समझौते की अनुसूची-ख, अनुलग्नक-I में विस्तृत है) पर कोई भी व्यय राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी और उस बिंदु पर ऐसी कनेक्टिविटी पर किया गया व्यय आरएबी का भाग नहीं बनेगा।

3.2.9 रियायत समझौते या किसी अन्य समझौते में निहित किसी भी बात के बावजूद, विनियमित संपत्ति आधार में किसी भी पूंजीगत व्यय को शामिल करना आईआरए की उचित जांच के अधीन है और इस संबंध में आईआरए का निर्णय आईआरए अधिनियम के अधीन अंतिम और बाध्यकारी होगा।

### 3.3 आरक्षित सेवाएं

3.3.1 भारत सरकार, पूरी अवधि के दौरान, हवाईअड्डे पर निम्नलिखित सेवाएं ("आरक्षित सेवाएं") प्रदान करेगी या प्रदान करवाएगी:

(क) सीमा शुल्क नियंत्रण (;

(ख) मिग्रेशन सेवाएं (;

(ग) पादप संगरोध सेवाएं (;

(घ) पशु संगरोध सेवाएं (;

(ङ) स्वास्थ्य सेवाएं (;

(च) मौसम विज्ञान संबंधी सेवाएं (; और

(छ) सुरक्षा सेवाएं। (

(ज) भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित कोई अन्य सेवाएं।

3.3.2 पक्ष स्वीकार करते हैं कि सुरक्षा सेवा के लिए लगाया गया शुल्क और उसका संग्रह एवं उपयोग समय-समय पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा जारी लागू दिशानिर्देशों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

3.3.3 रियायतग्राही, ड्राइंग/डिजाइनिंग चरण के दौरान, आव्रजन ब्यूरो, राजस्व विभाग (सीमा शुल्क सेवाओं के लिए), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा सुझाए गए अन्य संबंधित सरकारी एजेंसियों से परामर्श करेगा। रियायतग्राही डिजाइन चरण के दौरान आईसीएओ मानकों और एनसीएएसपी के अनुसार विमानन सुरक्षा के संबंध में बीसीएस से भी परामर्श करेगा। ऐसी एजेंसियों के उचित सुझावों/अनुरोधों का सामान्यतः रियायतग्राही द्वारा अनुपालन किया जाएगा, जब तक कि सुझावों और अनुरोधों का पालन न कर पाने का कोई अत्यधिक महत्वपूर्ण कारण न हो।

3.3.4 रियायतग्राही हर समय यह सुनिश्चित करेगा कि नामित भारत सरकार एजेंसियों को हवाई अड्डे पर आरक्षित सेवाओं का प्रदर्शन करने के लिए (क) हवाईअड्डे पर ऐसी पहुंच और सुविधाएं तथा (ख) स्थान की आवश्यकताएं प्रदान की जाएं, जैसा कि उनमें से किसी या सभी द्वारा आवश्यक हो।

3.3.5 रियायतग्राही उस नामित भारत सरकार एजेंसी की सहमति के बिना हवाईअड्डे पर किसी भी नामित भारत सरकार एजेंसी को प्रदान किए गए स्थान और सुविधाओं को कम करने का हकदार नहीं होगा।

3.3.6 हवाईअड्डे पर किसी भी विस्तार, आधुनिकीकरण या पुनर्विकास की स्थिति में जिसमें आरक्षित सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्यों के लिए या अन्यथा किसी भी नामित भारत सरकार एजेंसी द्वारा उपयोग किए जाने वाले किसी भी स्थान या सुविधाओं की आवाजाही या पुनर्गठन शामिल है, रियायतग्राही विधिवत नामित भारत सरकार एजेंसी को सूचित करेगा, और रियायतग्राही तथा वह नामित भारत सरकार एजेंसी उस नामित भारत सरकार एजेंसी की स्थान आवश्यकता में किसी भी बदलाव पर चर्चा करेगी और सहमत होगी जो हवाईअड्डे पर ऐसे विस्तार, आधुनिकीकरण या पुनर्विकास के परिणामस्वरूप आवश्यक हो सकता है।

### **3.4 भारत सरकार की एजेंसियों के साथ समझौता ज्ञापन**

3.4.1 भारत सरकार एतद्वारा रियायतग्राही और इसके तहत आरक्षित सेवाएं प्रदान करने वाली प्रत्येक भारत सरकार की एजेंसी/विभाग के बीच समझौता ज्ञापन के निष्पादन को प्राप्त करने का वचन देती है, जिसमें वे नियम और शर्तें निर्धारित की जाएंगी जिन पर संबंधित भारत सरकार की एजेंसियों/विभागों द्वारा आरक्षित सेवाएं प्रदान की जाएंगी। इस संबंध में, रियायतग्राही अपनी वैधानिक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए, स्थिति अनुसार सीमा शुल्क, सुरक्षा, संगरोध और अन्य नामित भारत सरकार की एजेंसियों को परिचालन क्षेत्र के लिए आवश्यक कार्यालय स्थान के साथ-साथ निःशुल्क कार्यालय स्थान (उपयोगिताओं जैसे बिजली, पानी आदि की लागत को छोड़कर, जो रियायतग्राही द्वारा वसूल की योग्य होगी) और अच्छी उद्योग परिपाटियों के अनुसार प्रदान करेगा। भारत सरकार की एजेंसी/विभाग द्वारा बैंक-ऑफिस उपयोग के लिए स्थान के संबंध में, रियायतग्राही लागू बाजार दर के 50% (पचास प्रतिशत) की दर से शुल्क लेगा।

3.4.2 आरक्षित सेवाओं का प्रदर्शन करने वाली भारत सरकार की एजेंसियों/विभागों और रियायतग्राही के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन, समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति के प्रावधानों को प्रभावी बनाएगा और शामिल करेगा।

### **3.5 सीमा शुल्क, आप्रवासन और संगरोध**

भारत सरकार, अपने स्वयं के व्यय पर, हवाईअड्डे पर सीमा शुल्क, आप्रवासन और संगरोध प्रक्रियाओं को इस तरह से स्थापित करेगी कि ऐसी किसी भी या सभी सेवाओं के संबंध में भारत सरकार के कारण सीधे तौर पर रियायतग्राही के प्रमुख निष्पादन पैरामीटर प्रभावित न हों। पक्षों का इरादा इस समझौता ज्ञापन के अनुसरण में भारत सरकार द्वारा सुनिश्चित की जाने वाली सीमा शुल्क और आप्रवासन प्रक्रियाओं तथा संगरोध सेवाओं के संबंध में उचित सेवा स्तर मानकों पर सहमत होने के लिए उचित प्रयासों का उपयोग करना है, और भारत सरकार का नागर विमानन मंत्रालय इस संबंध में रियायतग्राही द्वारा अनुरोध किए जाने पर तदनुसार सहायता करने का प्रयास करेगा।

### **3.6 मौसम विज्ञान सेवा**

3.6.1 भारत सरकार पुष्टि करती है कि वह नामित भारत सरकार एजेंसी के रूप में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन पर शिकागो कन्वेंशन के अनुसरण में समय-समय पर स्थापित या प्रासंगिक प्रथाओं के अनुसार हवाईअड्डे पर मौसम संबंधी सेवाएं प्रदान करवाएगी।

3.6.2 नामित भारत सरकार एजेंसी के रूप में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा प्रदान किए गए कार्य, और इस खंड 3.6 के तहत रियायतग्राही द्वारा प्रदान की गई पहुंच और स्थान अच्छी उद्योग प्रथाओं के अनुसार प्रदान किए जाएंगे।

### **3.7 सिंगल विंडो क्लियरेंस**

भारत सरकार एतद्वारा भारत सरकार के नियंत्रण और निर्देशन के तहत संबंधित एजेंसियों, प्राधिकरणों, विभागों, निरीक्षणालयों, मंत्रालयों के साथ संपर्क बनाने में रियायतग्राही को सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार में संपर्क के एकल प्वाइंट के माध्यम से एक सिंगल विंडो क्लियरेंस तंत्र/मार्ग स्थापित करने का वचन देती है।

### **3.8 मास्टर प्लान**

भारत सरकार वचन देती है कि यदि हवाईअड्डे के मास्टर प्लान में किसी संशोधन की आवश्यकता है जो डीजीसीए द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों या किसी अन्य लागू दिशानिर्देशों से विचलन में है, तो भारत सरकार प्राधिकरण से लिखित अनुरोध के 30 (तीस) दिनों के भीतर उचित प्राधिकरण द्वारा मास्टर प्लान का अनुमोदन प्राप्त करेगी। बशर्ते कि भारत सरकार ऐसे अनुमोदन को देने से इनकार कर सकती है यदि ऐसे संशोधन हवाईअड्डे के समग्र डिजाइन और पर्यावरण के सामंजस्य में नहीं हैं और/या भारत सरकार के किसी भी विभाग या एजेंसी के संप्रभु कार्यों के निर्वहन के लिए अनुकूल नहीं हैं।

### **3.9 मौजूदा वाइज़ैग हवाईअड्डे में अनुसूचित वाणिज्यिक उड़ानों का परिचालन बंद करना**

भारत सरकार ने नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार पत्र संख्या एवी-20015/1/2015-एडी दिनांक 27 जनवरी, 2016 के माध्यम से "साइट क्लियरेंस" देते समय एक शर्त निर्धारित की है कि भोगपुरम में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे का प्रचालन शुरू होने पर, 30 वर्षों की अवधि के लिए मौजूदा वाइज़ैग नौसेना हवाईक्षेत्र (आईएनएस डेगा) पर अनुसूचित वाणिज्यिक उड़ानों का परिचालन बंद कर दिया जाएगा। तदनुसार, भारत सरकार सहमत है कि मौजूदा वाइज़ैग नौसेना हवाईक्षेत्र (आईएनएस डेगा) पर अनुसूचित वाणिज्यिक उड़ानों का परिचालन नागर विमानन मंत्रालय द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य सरकार को पत्र संख्या एवी-29012/6/2021-एडी दिनांक 15.09.2022 के माध्यम से दी गई अनापत्ति प्रमाण पत्र के अनुसार बंद कर दिया जाएगा।

## **4. संयुक्त समन्वय समिति**

### **4.1 संयुक्त समन्वय समिति का गठन**

4.1.1 आरक्षित सेवाओं के सुचारू और कुशल निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए, पक्ष एतद्वारा एक संयुक्त समन्वय समिति ("**संयुक्त समन्वय समिति**") गठित करने का वचन देते हैं और सहमत होते हैं, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

(क) प्राधिकरण प्रतिनिधि (;

(ख) नागर विमानन (सुरक्षा ब्यूरो का प्रतिनिधि;

(ग) सीमा शुल्क नियंत्रण प्रतिनिधि (;

(घ) इमिग्रेशन सेवाएं प्रतिनिधि (;

(ङ) मौसम विज्ञान संबंधी सेवाएं प्रतिनिधि (;

(च) (सुरक्षा सेवाएं प्रतिनिधि;

(छ) पादप संगरोध सेवाएं प्रतिनिधि (;

(ज) पशु संगरोध सेवाएं प्रतिनिधि (;

(झ) स्वास्थ्य सेवाएं प्रतिनिधि (; और

(ञ) रियायतग्राही का प्रतिनिधि। (

(ट) नागर विमानन मंत्रालय) एमओसीए) का प्रतिनिधि

4.1.2 संयुक्त समन्वय समिति, जब तक कि बाद की तारीख में बैठक आयोजित करने के लिए पक्षों द्वारा अन्यथा सहमति न दी गई हो, प्रभावी तिथि के तीस (30) दिनों के भीतर पहली बार शुरू होकर, हवाईअड्डे पर प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार बैठक करेगी।

## 5. अवधि और समाप्ति

उपर्युक्त खंड 2 के अधधीन, यह समझौता ज्ञापन प्रभावी तिथि से पूरी तरह लागू और प्रभावी होगा और तब तक पूरी तरह लागू और प्रभावी रहेगा जब तक कि पक्षों द्वारा आपसी सहमति से इसे समाप्त न कर दिया जाए ("**अवधि**"). बशर्ते कि इसकी शर्तों के अनुसार रियायत समझौते की समाप्ति पर, रियायतग्राही इस समझौता ज्ञापन का एक पक्ष नहीं रहेगा और जब तक कि रियायतग्राही को प्राधिकरण द्वारा किसी अन्य संस्था के साथ प्रतिस्थापित नहीं किया जाता है, इस समझौता ज्ञापन के तहत रियायतग्राही के अधिकार और दायित्व प्राधिकरण में निहित होंगे। संदेह से बचने के लिए, रियायत समझौते की समाप्ति का अवधि पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

## 6. अप्रत्याशित घटना (फोर्स मेज्योर)

6.1 कोई भी पक्ष इस समझौता ज्ञापन के तहत अपने संबंधित दायित्वों के प्रदर्शन को उस सीमा तक निलंबित करने या छूट देने का हकदार होगा जिस सीमा तक वे अप्रत्याशित घटना की स्थिति के कारण ऐसा निष्पादन करने में असमर्थ हैं।

6.2 जहां कोई पक्ष अप्रत्याशित घटना के कारण अपने दायित्वों के निलंबन का दावा कर रहा है, वह अप्रत्याशित घटना घटने के तुरंत बाद, लेकिन किसी भी स्थिति में सात (7) दिनों के बाद नहीं, दूसरे पक्षों को अप्रत्याशित घटना का पूरा विवरण, इसकी अनुमानित अवधि, प्रभावित दायित्वों और इसके निलंबन के कारणों के बारे में लिखित रूप में सूचित करेगा।

6.3 अप्रत्याशित घटना का दावा करने वाला पक्ष अप्रत्याशित घटना को दूर करने और इस समझौता ज्ञापन के तहत अपने दायित्वों के प्रदर्शन पर इसके प्रभावों को कम करने के लिए उचित तत्परता का परिचय देगा। प्रभावित पक्ष जैसे ही अप्रत्याशित घटना दूर हो जाती है और अब उसे उन दायित्वों का अनुपालन करने से नहीं रोकती है जिन्हें निलंबित कर दिया गया था, तुरंत अन्य पक्षों को सूचित करेगा और उसके बाद जल्द से जल्द ऐसे दायित्वों का अनुपालन पुनः शुरू करेगा।

6.4 जहां किसी पक्ष को अप्रत्याशित घटना के कारण इस समझौता ज्ञापन के तहत किसी अधिकार का प्रयोग करने या किसी दायित्व का पालन करने से रोका जाता है, तो उससे प्रभावित दायित्वों के पालन या उस पर निर्भर किसी भी अधिकार के प्रयोग का समय उस अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ा दिया जाएगा जो प्रदर्शन को रोकने और/या देरी करने वाली अप्रत्याशित घटना की लंबित अवधि के समान हो या ऐसी अन्य अवधि जैसा कि पक्षों के बीच सहमति हो।

6.5 ऊपर निहित किसी भी बात के बावजूद, यदि अप्रत्याशित घटना घटती है और नब्बे (90) दिनों की अवधि के लिए जारी रहती है, तो पक्ष ऐसी अप्रत्याशित घटना के परिणामों और इसके प्रभावों को कम करने या परिस्थितियों में अपनाए जाने वाले कदमों पर चर्चा करने के लिए बैठक करेंगे।

## **7. शासी कानून और विवाद समाधान**

7.1 यह समझौता ज्ञापन (खंड 7 सहित) और इसकी व्याख्या के सभी प्रश्नों का अर्थ भारत गणराज्य के कानूनों के अनुसार लगाया जाएगा।

7.2 पक्ष सहमत हैं कि वे इस समझौता ज्ञापन के संबंध में उत्पन्न होने वाले विवादों को सद्भावपूर्ण परामर्श के माध्यम से हल करने का प्रयास करेंगे, और ऐसा परामर्श एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को ऐसे परामर्श के लिए लिखित अनुरोध देने के तुरंत बाद शुरू होगा। बशर्ते कि यदि ऐसा सद्भावपूर्ण परामर्श शुरू होने के साठ (60) दिनों के भीतर विवाद का समाधान नहीं हुआ है, तो खंड 7.3 के प्रावधान लागू होंगे।

### **7.3 मध्यस्थता (आर्बिट्रेशन)**

7.3.1 कोई भी विवाद, जिसे ऊपर खंड 7.2 के तहत प्रदान किए गए सौहार्दपूर्ण समाधान के माध्यम से पक्षों द्वारा हल नहीं किया जा सका, अंततः भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के अनुसार मध्यस्थता द्वारा समाधान किया जाएगा।

7.3.2 विवादों को तीन (3) मध्यस्थों वाले एक न्यायाधिकरण को संदर्भित किया जाएगा। मध्यस्थता के लिए प्रत्येक पक्ष एक मध्यस्थ नियुक्त करेगा और इस प्रकार नियुक्त दो मध्यस्थ तीसरे मध्यस्थ का चयन करेंगे जो न्यायाधिकरण के अध्यक्ष मध्यस्थ के रूप में कार्य करेगा (एक साथ "मध्यस्थ न्यायाधिकरण" का गठन करेंगे)। दूसरे पक्ष द्वारा अपने मध्यस्थों को नियुक्त करने में विफलता के मामले में या पक्षों द्वारा नियुक्त दो मध्यस्थों द्वारा तीसरे मध्यस्थ को नियुक्त करने में विफलता की स्थिति में, उक्त मध्यस्थों को नई दिल्ली स्थित दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

7.3.3 ऐसी मध्यस्थता, जब तक कि पक्षों को अन्यथा स्वीकार्य न हो, नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी, और ऐसी मध्यस्थता की सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी।

7.3.4 मध्यस्थ न्यायाधिकरण का निर्णय (निर्णयगण) अंतिम और पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

7.3.5 इस खंड 7 के अधीन, नई दिल्ली में स्थित न्यायालयों का इस समझौता ज्ञापन पर क्षेत्राधिकार होगा।

## **8. विविध**

### **8.1 सूचना (नोटिस)**

8.1.1 इस समझौता ज्ञापन की शर्तों के तहत आवश्यक या अनुमति प्राप्त या लागू कानूनों द्वारा आवश्यक कोई भी सूचना (जब तक कि अन्यथा सहमति न हो) लिखित रूप में होगी और व्यक्तिगत रूप से दी जाएगी, पंजीकृत डाक या एयर मेल द्वारा भेजी जाएगी, जैसा कि उचित हो, ठीक से डाक शुल्क का भुगतान करके विधिवत संबोधित लिफाफे में या फैक्स द्वारा संबंधित पक्षों को निम्नानुसार भेजी जाएगी:

**भारत सरकार (जीओआई) :**

**ध्यानार्थ:** सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार

**पता:** राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली

**फैक्स नं.:** 011 24602397

**रियायतग्राही:**

**ध्यानार्थ:** मुख्य कार्यकारी अधिकारी

**पता:** जीएमआर विशाखापटनम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 10-143, फ्लैट नं. 202, दूसरी मंजिल, सिरिपुरम फोर्ट, सिरिपुरम, विशाखापटनम - 530003, आंध्र प्रदेश, भारत

या ऐसे किसी अन्य पते या फैक्स नंबर पर जैसा कि इसके तहत नोटिस द्वारा समय-समय पर नामित किया जाए।

8.1.2 ऐसी कोई भी सूचना अंग्रेजी भाषा में होगी और यदि हाथ से डिलीवर की जाती है तो वास्तविक डिलीवरी के समय, या फैक्स द्वारा भेजे जाने पर अगले कार्य दिवस पर या किसी भी अन्य मामले में इसमें पहले बताए गए तरीके से मेल किए जाने के 3 (तीन) दिनों के भीतर दी गई मानी जाएगी।

## **8.2 पृथकनीयता**

इस घटना में कि इस समझौता ज्ञापन में निहित कोई भी, या नियमों, शर्तों या प्रावधानों का कोई भी हिस्सा किसी भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी भी सीमा तक अमान्य, गैर-कानूनी या अप्रवर्तनीय निर्धारित किया जाता है, तो ऐसे नियम, शर्तों या प्रावधान, उस सीमा तक, शेष नियमों, शर्तों और प्रावधानों से अलग कर दिए जाएंगे, जो लागू कानून द्वारा अनुमति की पूर्ण सीमा तक वैध और प्रवर्तनीय बने रहेंगे।

## **8.3 संपूर्ण समझौता**

यह समझौता ज्ञापन, इसके सभी अनुसूचियों के साथ, इस समझौता ज्ञापन के विषय के संबंध में पक्षों के बीच पूरे समझौते और समझ का प्रतिनिधित्व करता है और किसी भी पूर्व समझौते या समझ, चाहे लिखित हो या मौखिक, जो पक्षों के बीच रही हो सकती है, को निरस्त करता है।

## **8.4 संशोधन**

इस समझौता ज्ञापन में कोई भी जोड़, संशोधन या परिवर्तन तब तक प्रभावी नहीं होगा, जब तक कि वह लिखित रूप में न हो और पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित न हो।

## **8.5 समनुदेशन**

इसके बाद लागू कानून में किसी भी बदलाव के बावजूद, जो अन्यथा इस समझौता ज्ञापन के समनुदेशन की अनुमति दे सकता है, कोई भी पक्ष इस समझौता ज्ञापन या इसके तहत या इसके अनुसरण में उत्पन्न होने वाले किसी अधिकार या दायित्व या इसमें किसी लाभ या हित को समनुदिष्ट नहीं कर सकता है। बशर्ते, हालांकि, पूर्वगामी के बावजूद, भारत सरकार एतद्वारा स्थानापन्न समझौते की शर्तों के अनुसार चुने गए किसी स्थानापन्न संस्था या परियोजना के संबंध में रियायतग्राही के रूप में प्राधिकरण द्वारा स्वीकार की गई किसी अन्य संस्था के पक्ष में इस समझौता ज्ञापन को स्थानांतरित और नवीनीकृत करने के लिए स्पष्ट रूप से सहमत है।

## **8.6 कोई साझेदारी नहीं**

8.6.1 यह समझौता ज्ञापन पक्षों के बीच साझेदारी का गठन नहीं करेगा और न ही इसका अर्थ साझेदारी का गठन किया जाएगा। किसी भी पक्ष के पास अपने एजेंट के रूप में या अन्यथा किसी अन्य पक्ष को बाध्य करने का कोई अधिकार (जब तक कि इस समझौता

ज्ञापन के आधार पर या अन्यथा लिखित रूप में स्पष्ट रूप से प्रदान न किया गया हो और रद्द न किया गया हो) नहीं होगा।

### 8.7 कोई छूट नहीं

भारत सरकार या प्राधिकरण द्वारा इस समझौता ज्ञापन के तहत किसी भी अधिकार, शक्ति, विशेषाधिकार या उपाय का प्रयोग करने में कोई विफलता, और उनके द्वारा इसके प्रयोग में कोई देरी, उसके त्याग के रूप में कार्य नहीं करेगी, न ही किसी अधिकार, शक्ति, विशेषाधिकार या उपाय का कोई एकल या आंशिक प्रयोग इसके किसी अन्य या आगे के प्रयोग या किसी अन्य अधिकार, शक्ति, विशेषाधिकार या उपाय के प्रयोग को रोकेगा। जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो, इस समझौता ज्ञापन में प्रदान किए गए अधिकार, शक्तियां, विशेषाधिकार और उपाय संचयी हैं और किसी भी अन्य अधिकारों, शक्तियों, विशेषाधिकारों या उपायों (चाहे कानून द्वारा या अन्यथा प्रदान किए गए हों) के अनन्य नहीं हैं।

### 8.8 द्विपक्षीय समझौते

भारत सरकार के संप्रभु अधिकारों को प्रभावित किए बिना या किसी भी तरह से प्रतिबंधित किए बिना, भारत सरकार हवाईअड्डे पर अनुसूचित एयरलाइन सेवाएं प्रदान करने के लिए विदेशी वाहकों के वैमानिकी अधिकारियों से उड़ान अधिकारों और सीटों के अधिकार के अनुरोधों की समीक्षा करेगी। ऐसे अनुरोध की समीक्षा के बाद, भारत सरकार विचार करेगी और ऐसे देशों के साथ द्विपक्षीय हवाई सेवा समझौतों में प्रवेश कर सकती है या संशोधन कर सकती है।

## 9. रक्षा और सैन्य सेवाएं

9.1 रियायतग्राही स्वीकार करता है और सहमत होता है कि रक्षा बलों को प्रत्येक समय किसी भी प्रकार के प्रतिबंध या बाधा के बिना हवाईअड्डे और उसकी सभी सुविधाओं का उपयोग करने का अधिकार होगा।

9.2 खंड 9.1 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी भी आपात स्थिति के दौरान हवाईअड्डे के उपयोग और हवाई क्षेत्र के आवंटन एवं बंद होने के संबंध में रक्षा बलों के प्रति रियायतग्राही के दायित्वों को समय-समय पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा, और उस सीमा तक रियायतग्राही को हवाईअड्डे के नागरिक उपयोगकर्ताओं को सेवाएं प्रदान करने के अपने दायित्व से मुक्त कर दिया जाएगा।

9.3 इसके विपरीत किसी अन्य स्थान पर निहित किसी भी बात के बावजूद, रियायतग्राही:

(क) भारत सरकार की 'यूनियन वॉर बुक' के प्रावधानों के अनुसार युद्ध, प्राकृतिक आपदा/विपत्ति, आंतरिक अशांति आदि जैसी आपात स्थितियों से निपटने के लिए आवश्यक सीमा तक हवाई अड्डे और परियोजना सुविधाओं को निःशुल्क उपलब्ध कराएगा;

(ख) रक्षा और अन्य अर्धसैनिक विमानों के लिए लैंडिंग और पार्किंग शुल्कों से मुक्त, निर्बाध लैंडिंग और पार्किंग सुविधाएं प्रदान करेगा, और रक्षा अभियानों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा सुविधाएं और उपकरण भी प्रदान करेगा;

(ग) आवधिक और आकस्मिक (सरप्राइज) निरीक्षणों के लिए सुरक्षा एजेंसियों को हवाई अड्डे तक पहुंच उपलब्ध कराएगा;

(घ) वरिष्ठ निर्णय लेने वाले पदों या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के रूप में किसी भी पद पर विदेशी नागरिकों को कार्य पर रखने के लिए संबंधित सरकारी निकायों से मंजूरी प्राप्त करेगा;

(ङ) बीसीएस और डीजीसीए द्वारा निर्धारित सुरक्षा उपायों का अनुपालन करेगा;

(च) हवाईअड्डा स्थल और हवाईअड्डे पर निर्माण, ग्राउंड हैंडलिंग या अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों के लिए ली जाने वाली विदेशी फर्मों के प्रत्यय पत्र का पूर्व सत्यापन प्राप्त करेगा;

(छ) हवाईअड्डे के विकास में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा से संबंधित मंजूरी संबंधित सरकारी निकायों से प्राप्त करेगा, यदि ऐसा आवश्यक हो, और नियंत्रण या स्वामित्व में कोई भी परिवर्तन राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से सुरक्षा मंजूरी के अधधीन होगा;

(ज) अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों और क्रू मेंबर्स को संभालने के लिए आवश्यक अवसंरचना तैयार करेगा जिन्हें आप्रवासन (इमिग्रेशन) और सीमा शुल्क (कस्टम्स) से गुजरना अनिवार्य है; और

(झ) हवाईअड्डे पर स्वास्थ्य सेवाओं और पादप संगरोध (प्लांट क्वारंटाइन) के लिए उचित व्यवस्था का निर्माण करेगा।

9.4 रियायतग्राही एतद्वारा वचन देता है और सहमत होता है कि वह भोगपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई अनापत्ति प्रमाण पत्र के सभी नियमों और शर्तों का अनुपालन करेगा।

**जिसके साक्ष्य स्वरूप** पक्षों ने अपने विधिवत अधिकृत अधिकारियों और प्रतिनिधियों के माध्यम से इस समझौता ज्ञापन को ऊपर लिखी गई तिथि और वर्ष को निष्पादित कराया है।

**द्वारा हस्ताक्षरित**

## अनुसूची 1

### पशु संगरोध सेवाएं

#### कआगमन से पूर्व .

- (i) पशु आयात आवेदन प्राप्त होने पर, सभी होल्लिंग शेड और चारा भंडारण कक्षों की पूरी तरह से सफाई, कीटाणुशोधन और धूमन किया जाता (फ्यूमिगेशन) है।
- (ii) पशुओं को उपयुक्त वाहकों में ले जाया जाना चाहिए जो प्रजातिविशिष्ट - आवश्यकताओं का अनुपालन करते हों।
- (iii) परिवहन वाहनों को निर्धारित आगमन से एक दिन पूर्व सैनिटाइज किया जाना चाहिए।
- (iv) किसी भी आवश्यक जैविक नमूनों को एकत्र करने के लिए पहले से ही तैयारियां की जाती हैं।

#### खप्रवेश बिंदु पर आगमन पर .

- (i) आगमन के दिन और आयातकर्ता के साथ तय किए गए समय पर, क्षेत्रीय संगरोध अधिकारी और अन्य कर्मचारी हवाईअड्डे पर पहुंचते हैं।
- (ii) आयातित पशुओं या पशुधन उत्पादों का भौतिक परीक्षण किया जाता है।
- (iii) स्वास्थ्य मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए साथ में लाए गए पशु चिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाण पत्रों का बारीकी से जांच किया जाता है।
- (iv) यह सुनिश्चित करने के बाद कि पशु नैदानिक (क्लिनिकली) रूप से स्वस्थ हैं और कंसाइनमेंट के साथ आने वाले स्वास्थ्य प्रमाणपत्र सही क्रम में हैं, सीमा शुल्क क्लियरेंस के लिए आयात करने वाली एजेंसी को मामले के आधार पर अनंतिम संगरोध क्लियरेंस प्रमाणपत्र (आयात) या पशु चिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाणपत्र (आयात) जारी किया जाता है।

- (v) आयातित जीवित पशुओं को क्षेत्रीय संगरोध अधिकारी की देखरेख में संगरोध (क्वारेन्टाइन) स्टेशन लाया जाता है।
- (vi) पशुओं की स्वास्थ्य स्थिति की निगरानी के लिए उन्हें 30 दिनों के लिए या भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य प्रोटोकॉल में निर्दिष्ट अनुसार संगरोध में रखा जाता है।
- (vii) पशुधन उत्पादों के मामले में, स्वच्छता आयात परमिट (सैनिटरी इम्पोर्ट परमिट) में निर्धारित शर्तों के अनुसार प्रतिनिधि नमूने एकत्र किए जाएंगे और संबंधित प्रयोगशालाओं में परीक्षण किए जाएंगे।

## अनुसूची 2

### सीएनएस/एटीएम सेवाएं

भारत सरकार, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) या किसी अन्य नामित भारत सरकार एजेंसी के माध्यम से, पूरी अवधि के दौरान, एक अलग सीएनएस/एटीएम समझौते के माध्यम से हवाईअड्डे पर निम्नलिखित सीएनएस/एटीएम सेवाएं प्रदान करेगी या प्रदान करवाएगी:

(क) शिकागो कन्वेंशन के अनुसरण में समय-समय पर स्थापित या अनुशंसित परिपाटियों के अनुसार और भारत के अन्य हवाईअड्डों पर समान सेवाओं के लिए लागू समान शर्तों पर, और डीजीसीए के निर्देशों के अनुपालन में हवाईअड्डे पर सीएनएस/एटीएम सेवाएं प्रदान करवाना;

(ख) सीएनएस/एटीएम उपकरणों का रखरखाव करवाना, जिसमें आवधिक उड़ान कैलिब्रेशन और सीएनएस/एटीएम उपकरणों का परीक्षण शामिल है;

(ग) समय-समय पर सीएनएस/एटीएम उपकरणों को अपग्रेड करवाना: (i) हवाई यातायात की मांग की परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डीजीसीए द्वारा अधिसूचित नागरिक विमानन अपेक्षाओं के प्रासंगिक प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए और प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों और अनुलग्नकों सहित लागू कानूनों के अनुसार न्यूनतम रूप में; और (ii) हवाईअड्डे के विस्तार / उन्नयन के परिणामस्वरूप;

(घ) हवाईअड्डे पर सीएनएस/एटीएम सेवाएं प्रदान करने के लिए समय-समय पर आवश्यक उपकरणों को अपने स्वयं के व्यय पर या स्थिति अनुसार नामित भारत सरकार एजेंसी के व्यय पर खरीदा जाना;

(ङ) शिकागो कन्वेंशन के अनुसरण में समय-समय पर स्थापित या अनुशंसित परिपाटियों के अनुसार, और उन्हीं शर्तों पर जिन पर एएआई भारत के अन्य समान हवाईअड्डों पर प्रदान करता है, हवाईअड्डे पर सीएनएस/एटीएम सेवाओं के प्रावधान के लिए मौसम संबंधी सुविधाएं प्रदान करना; और

(च) हवाई यातायात को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए अधिकृत नामित भारत सरकार एजेंसी द्वारा लागू कानूनों और अच्छी उद्योग परिपाटियों के अनुसार रनवे पर विमान की आवाजाही को सक्षम बनवाना।

### अनुसूची 3

#### सीमा शुल्क नियंत्रण

सीमा शुल्क कार्यों में विमान, यात्रियों, सामान और कार्गो के आगमन और प्रस्थान के संबंध में सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 और समय-समय पर जारी नियमों, विनियमों और निर्देशों के संदर्भ में निष्पादित सभी संप्रभु कार्य शामिल होंगे। इसमें शामिल हैं:

(क) कर्वाकथ्रू (चैनल पर सीमा शुल्क नियंत्रण;

(ख) रेड चैनल में बैगेज / ग्रीन (परीक्षण काउंटरों पर सीमा शुल्क नियंत्रण;

(ग) बै (गेज हॉल में बैगेज सहायक / उपायुक्त की सेवाओं का प्रावधान;

(घ) रोके गए सामान के लिए सीमा शुल्क नियंत्रण (;

(ङ) गलत तरीके से हैंडल किए गए बैगेज के लिए सीमा शुल्क नियंत्रण;

(च) (कीमती वस्तुओं के लिए सीमा शुल्क नियंत्रण;

(छ) सामान के (पुनः शिपमेंट लिए सीमा शुल्क नियंत्रण;

(ज) जब्त किए गए सामान के लिए सीमा शुल्क नियंत्रण (;

(झ) निकास द्वार के पास गेट अधिकारी द्वारा तैनाती;

(ञ) निर्यात प्रमाण पत्र जारी करना (;

(ट) सीमा शुल्क के कार्यों के संबंध में संबंधित अधिकारी की सेवाएं (;

(ठ) (एयर इंटेलिजेंस यूनिट, और

(ड) (सीमा शुल्क के सक्काड

रियायतग्राही सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 और समय-समय पर जारी नियमों, विनियमों और निर्देशों के प्रावधानों का अनुपालन करेगा।

## अनुसूची 4

### स्वास्थ्य सेवाएं

- (क) पक्ष एतद्वारा रिकॉर्ड करते हैं कि डीजीएचएस का उद्देश्य हवाईअड्डा टर्मिनल पर निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करने और निम्नलिखित गतिविधियों ("स्वास्थ्य सेवाएं") को संचालित करने का प्रयास करना है:
- (i) यात्रियों, आगंतुकों, एयरलाइन कर्मियों, कर्मचारियों और भारत सरकार, प्राधिकरण, रियायतग्राही और अन्य संबंधित सरकारी विभागों के अन्य कार्मिकों के लाभ के लिए दिन में प्रत्येक समय हवाईअड्डा टर्मिनल और कार्गो कॉम्प्लेक्स में चिकित्सा सुविधाएं;
  - (ii) हवाईअड्डा टर्मिनल पर स्थित होने वाले चिकित्सा अधिकारी और अन्य डीजीएचएस कर्मी, जैसा कि डीजीएचएस द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाएगा;
  - (iii) डीजीएचएस समय-समय पर कर्मचारियों की संख्या निर्धारित करेगा और हवाईअड्डे तथा उसके आसपास चिकित्सा सुविधाओं का समय निर्धारित करेगा;
  - (iv) डीजीएचएस हवाईअड्डे पर ऐसे अन्य कार्यों को भी करेगा जो समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा निर्देशित किए जा सकते हैं।
- (ख) यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि डीजीएचएस उपर्युक्त खंड (क) में उल्लिखित सभी या किसी भी स्वास्थ्य सेवाओं और/या सुविधाओं को प्रदान नहीं करता है, तो रियायतग्राही के प्रति उसकी किसी भी प्रकार की कोई देनदारी नहीं होगी। ऐसी किसी भी देनदारी को एतद्वारा स्पष्ट रूप से खारिज किया जाता है। रियायतग्राही एतद्वारा स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है कि उपर्युक्त खंड (क) (i) में उल्लिखित किसी भी स्वास्थ्य सेवा या सुविधा के न मिलने या आंशिक रूप से मिलने पर उसके पास डीजीएचएस या किसी अन्य सरकारी निकाय के विरुद्ध कोई अधिकार या उपाय नहीं होगा।

## अनुसूची 5

## **आप्रवास (इमिग्रेशन) सेवाएं**

हवाईअड्डे पर आप्रवासन सुविधा और सेवा प्रदान करना और लागू कानूनों के तहत विदेशियों के पंजीकरण से संबंधित कार्य।

## **अनुसूची 6**

### **मौसम विज्ञान संबंधी सेवाएं**

इसमें आईसीएओ, अनुलग्नक 3 और विश्व मौसम विज्ञान संगठन के तकनीकी प्रावधानों के साथ-साथ विमान परिचालन की सुरक्षा के लिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मानकों,

अनुशंसित परिपाटियों और हवाई नेविगेशन कन्वेंशन के अनुसार विमानन मौसम सेवाएं शामिल हैं।

## अनुसूची 7

### पादप संरक्षण और संगरोध सेवाएं

#### विनियामक कार्य

- (क) आक्रामक कीटों और रोगजनकों को रोकने के लिए कृषि आयातों का निरीक्षण, परीक्षण, उपचार और अनुमोदन करना।
- (ख) बाहर जाने वाले कृषि सामानों का दृश्य रूप से परीक्षण और प्रसंस्करण करना।
- (ग) बाहर जाने वाले कृषि उत्पादों के लिए पादप स्वच्छता प्रमाण पत्र (फ़ाइटो-सैनिटरी सर्टिफिकेट) प्रदान करना।
- (घ) आयातित लकड़ी की पैकिंग सामग्री की जाँच और उपचार करना।
- (ङ) आने वाली वस्तुओं पर प्रवेश-पश्चात संगरोध जाँच करना।
- (च) कृषि वस्तुओं पर धूमन (फ़्यूमिगेशन), कीट-निवारण (डिस्इन्फेस्टेशन) और कीटाणुशोधन (डिस्इन्फेक्शन) के उपायों को निष्पादित करना।

ये कार्य विनाशकारी कीट और जीव-जंतु अधिनियम, 1914 और पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 2003 और इसके संशोधनों के तहत किए जाते हैं ताकि विदेशी कीटों और बीमारियों के प्रवेश के जोखिम को कम किया जा सके जो भारतीय कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। यह प्रथाएं अंतरराष्ट्रीय पादप संरक्षण कन्वेंशन और विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के स्वच्छता और पादप स्वच्छता समझौते द्वारा स्थापित मानकों का अनुपालन करती हैं।

## अनुसूची 8

### सुरक्षा सेवाएं

- (क) एवीएसईसी उपायों को लागू करने के लिए जिम्मेदार हवाईअड्डा ऑपरेटरों, एयरलाइन ऑपरेटरों और उनकी सुरक्षा एजेंसियों के लिए आईसीएओ के शिकागो कन्वेंशन के अनुलग्नक 19 के अनुसार नामित जीओआई एजेंसी के माध्यम से सुरक्षा प्रदान करना।
- (ख) यह गारंटी देना कि सुरक्षा नियंत्रण करने वाले एजेंसी के कर्मियों के पास उचित प्रशिक्षण और आवश्यक योग्यताएं हों।
- (ग) विमानन सुरक्षा कार्यों का नियोजन और समन्वय करना।
- (घ) सुरक्षा कर्मचारियों की व्यावसायिक दक्षता और सतर्कता का परीक्षण करने के लिए नामित भारत सरकार की एजेंसी के माध्यम से आकस्मिक/डमी जांच करना और विभिन्न एजेंसियों की 'आकस्मिक योजनाओं की प्रभावकारिता और परिचालन तैयारी' का परीक्षण करने के लिए मॉक अभ्यास करना।
- (ङ) बीसीएस के साथ किए जाने वाला समझौता।